# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

## पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 14/2024

GCMS No. : 2024/24

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| जरिये सरकार भुराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली | | 1. दिनेश पुत्र घीसूलाल जाति चौधरी निवासी कोट बालियान, मैसर्स राजधानी स्वीट प्रताप बाजार रानी जिला पाली<br>2. भुराराम जसाजी चौधरी मैसर्स राजस्थान स्वीट प्रताप बाजार रानी जिला पाली |

**"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51"**

**उपस्थित :–**

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी उपस्थित।

**–: निर्णय :–**

दिनांकः 30/12/2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।वक्त बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 23.05.2023 को दौराने गश्त अप्रार्थी की मैसर्स राजधानी स्वीट प्रताप बाजार रानी जिला पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी संख्या 01 से नाम पता पुछने पर अपना नाम दिनेश पुत्र घीसुलाल बताया एवं स्वंय को फर्म का मैनेजर होना बताया। फर्म के निरीक्षण के दौरान फर्म कि किचन के एक पीपे में लगभग 10 से 12 लीटर रिफाइण्ड पॉम ऑयल रखा हुआ था। जिसे अप्रार्थी संख्या 01 व्यंजन बनाने के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

लिए उपयोग ले रहा था। जिसका उपयोग आमजन को विक्रय हेतु किया जाना था। जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने रिफाइण्ड पॉम ऑयल का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की, जिसके लिए मैने दो प्रतियों में प्रपत्र 5ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी संख्या 01, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। स्वतंत्र गवाह नहीं होने कि स्थिति में साथ आये खाद्य सुरक्षा अधिकारी नारायणसिंह कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी को बता दिया की रिफाइण्ड पॉम ऑयल का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 1600 एमएल रिफाइण्ड पॉम ऑयल वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 240/– रूपये नकद अप्रार्थी संख्या 01 को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी संख्या 01, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा रिफाइण्ड पॉम ऑयल को नियमानुसार कंटेनर में पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर–1861 लिखा एवं नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार की एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया रिफाइण्ड पॉम ऑयल का नमुना संख्या आर–1861 के संबंध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/1476/एक्ट/2023/1517 दिनांक 01.06.2023 के अनुसार Sub-standard (अवमानक) पाया गया। जिसकी प्रति अप्रार्थी को जरिये डाक भिजवाकर सुचित किया कि वह उक्त नमुने की जांच पुनः करवाना चाहते है तो 30 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते है। जिस पर अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का पत्र व्यवहार एवं जवाब पेश नहीं किया। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त रिफाइण्ड पॉम ऑयल Sub-standard (अवमानक) पाया गया इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Sub-standard (अवमानक) रिफाइण्ड पॉम ऑयल का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीगण की फर्म से रिफाइण्ड पॉम ऑयल का नमुना लेते समय खाद्य सुरक्षा मानक के अनुसार सेम्पल नहीं लिया है, जो विधि के अनुसार औचित्यहिन है क्योकि जिस वक्त जैर प्रकरण नमुना सेम्पल लिया गया था उस उक्त फर्म मे फर्म मालिक उपस्थित न होकर केवल फर्म मालिक द्वारा नियुक्त कार्मिक थे। ऐसे में कार्यवाही करना उचीत प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी द्वारा फर्म में उपयोग की जाने वाली समस्त खाद्य सामग्रीयां संजय कुमार भरत कुमार मैन बाजार रानी से खरीद की जाती है एवं नमुना रिफाइण्ड पॉम ऑयल का पीपा भी उक्त फर्म से ही खरीद किया था। ऐसे में विक्रेता फर्म को भी पक्षकार बनाना चाहिये था लेकिन प्रार्थी ने फर्म को अनुचित लाभ देने की नियत से पक्षकार संयोजित नहीं किया जो अनुचित है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को सेम्पल रिफाइण्ड पॉम ऑयल की पुनः जाचं हेतु अवसर नहीं देकर बहुमूल्य अधिकार से वंचित किया है क्योंकि प्रार्थी ने रिफाइण्ड पॉम ऑयल नमुने कि जांच रिपोर्ट जो खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त हुयी उसकी जानकारी अप्रार्थीगण को नहीं दी गयी। अप्रार्थी की फर्म में रिफाइण्ड पॉम ऑयल का उत्पादन नहीं किया जाता है ऐसे में रिफाइण्ड पॉम ऑयल के अवमानक होने का उत्तरदायी अप्रार्थी की फर्म कैसे हो सकती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम विरूद्ध होने से खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता अप्रार्थीगण की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.05.2023 को अप्रार्थी की फर्म मैसर्स राजधानी स्वीट प्रताप बाजार रानी से रिफाइण्ड पॉम ऑयल वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1861 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये रिफाइण्ड पॉम ऑयल का नमुना कोड संख्या आर–1861 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर भिजवाया गया, जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की दुकान से लिया गया रिफाइण्ड पॉम ऑयल का नमुना Sub-standard (अवमानक) पाया गया, जिसकी प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक पत्रांक एफएफएसए/2023/4890 दिनांक 16.6.2023 से अप्रार्थीगण को भिजवायी गयी। जिसके संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का जवाब या पुनः जांच हेतु किसी प्रकार का आवेदन नहीं करने एवं एक माह से ज्यादा समय व्यतित होने से प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। खाद्य

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त रिफाइण्ड पॉम ऑयल Sub-standard (अवमानक) पाया गया। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई खरीद बिल पेश नहीं किया ऐसे में विक्रेता फर्म को पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी ने नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरण न्यायालय के समक्ष पेश किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की फर्म से रिफाइण्ड पॉम ऑयल का सेम्पल लेते समय नियमानुसार खाद्य सुरक्षा नियमों के मानको को अपनाते हुए सेम्पल लिया एवं खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया जिसमें किसी प्रकार के नियमों की अवहेलना नहीं पायी गयी। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण ने अवमानक स्तर के रिफाइण्ड पॉम ऑयल का उपयोग आमजन के लिए खाद्य सामग्री बनाने में किये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Sub-standard (अवमानक) रिफाइण्ड पॉम ऑयल का उपयोग आमजन के लिए खाद्य सामग्री बनाने में किये जाने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण पर सयुंक्त रूप से 20,000/–रूपये अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करे। निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रार्थी उक्त आदेश की पालना अप्रार्थी से 1 माह में करवाकर पालना रिपोर्ट एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ बजरंग सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली